भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **1484**
गुरुवार, 10 फरवरी, 2022/ 21 माघ, 1943 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान अनुरक्षण पाठ्यक्रम

1484. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि विमान अनुरक्षण पाठ्यक्रम कुछ अयोग्य/गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित किए जाते हैं जहां छात्रों को गुमराह किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का देश में विमान रख-रखाव शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है। और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) आज की तारीख को, नागर विमानन महानिदेशालय के संज्ञान में अयोग्य/गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रमों के संचालन का कोई मामला नहीं आया है, जहां छात्रों को गुमराह किया जा रहा है।

देश में विमान अनुरक्षण शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने देश में विमान के अनुरक्षण के लिए सक्षम और कुशल जनशक्ति विकसित करने के उद्देश्य से सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) 147 (बेसिक) जारी की है। नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) में विमान अनुरक्षण प्रशिक्षण संगठनों के माध्यम से छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण का प्रावधान है। कोविड -19 वैश्विक महामारी के दौरान, दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा बेसिक विमान अनुरक्षण प्रशिक्षण संगठनों को अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बेसिक विमान अनुरक्षण प्रशिक्षण संगठनों द्वारा ऑफ लाईन कक्षाओं की भी अनुमति दी है।

******